भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु जनपद–शाहजहाँपुर में गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 23.01.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0–अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यकमों के प्रभावी कियान्वन तथा मूल्याकंन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 को कलेक्टेट स्थित सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। बैठक में मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा प्रेषित 56 नग डी0पी0आर0 (67 ग्राम पंचायत, 100 राजस्व ग्राम) को विचारोपरान्त SWSM को प्रेषित किया जाना है।

1	जिलाधिकारी शाहजहाँपुर	अध्यक्ष
2	मुख्या विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
3	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य	
4	जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
5	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर	सदस्य
6	जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
7	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
8	अधिशासी अभियंता वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
9	अधिशासी अभियंता, ग्रांउड वाटर शाहजहाँपुर	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
11	जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
12	अधिशासी अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर।	सदस्य
13	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर	सदस्य सचिव

1. जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदाराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 1032 ग्राम पंचायतो (2033 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किए गये निर्देशो के अनुपालन मे प्राक्कलन विरचित किये गए है, जिसकी जल निगम एवं मै0 मेधज़ टैक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), शाहजहाँपुर द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे ली गयी कार्यो की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।

2. वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 602 नग डी0पी0आर0 (736 ग्राम पंचायत) अधिशासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 579 नग डी0पी0आर0 (713 ग्राम पंचायत) नग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी क्रम में आज बैठक में पुनः 56 नग डी0पी0आर0 (67 ग्राम पंचायत, 100 राजस्व ग्राम) "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 56 नग डी0पी0आर0 (67 ग्राम पंचायत, 100 राजस्व ग्राम) का तकनीकी परीक्षण किया गया एंव यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), शाहजहाँपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् है:-

1. योजनाओ की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रु से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत मे अंकित औसत से स्पष्ट है।
2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रु 7000 से अधिक है, उन योजनाओ का स्थालीय परिक्षण करा लिया गया है एंव समस्त प्रस्ताव का मूल्याकंन स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिंग प्लांट की डिजाइन मे हैड अधिकतम 50 मी0 के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परिक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी0वी0 माडयूल की क्षगता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन योजनाओ मे रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण किया गया है एंव प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एंव आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली मे सैंड बेडिग का प्रविधान नही किया गया है।
9. जलकल परिसर मे सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नही है। जिस ग्राम पंचायत मे जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है एंव मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एंव इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नही किया गया है।
11. योजनओ की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति रखी गई है, उनमे किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नही हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओ की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार गुणवत्त सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नही किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओ मे प्रस्ताव का परीक्षण मौंके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एंव इन कार्यो के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उददेश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

उक्त कम मे ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल अपूर्ति हेतु 56 नग डी0पी0आर0 जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

उक्त के क्रम में बैठक में अन्य निम्न बिन्दुओ पर निर्देश दिये गये–

1. मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मै0एन0सी0सी0 को गृह जल सयोजन की प्रगति बढाने तथा अवशेष डी0पी0आर0 शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा एन0सी0सी0 को कार्यो की प्रगति बढाने हेतु स्टाफ, श्रमिको की संख्या बढाने हेतु निर्देशित किये गया।

1. आई0एस0ए0 के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा करने पर निर्देशित किया गया कि चयनित आई0एस0ए0 अपने कार्यों की डिजीटल डायरी एवं हार्ड कॉपी मासिक एवं सप्ताहिक तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे, जिसके अनुसार कार्यो का सत्यापन कराते हुए जल जीवन मिशन अन्तर्गत आई0एस0ए0 के कार्यों को पूर्ण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियान एवं प्रभात फेरियों में आधुनिक तकनीकों (वीडियों स्क्रीन) आदि का उपयोग किये जाने पर बल दिया जाना चाहिए।
2. वर्तमान तक चयनित आई0एस0ए0 को आंवटिंत किये गये क्लस्टर के अवशेष कार्यो के सम्बन्ध में समस्त आई0एस0ए0 प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि 80 प्रतिशत सहमति पत्र को 30 दिन के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कार्यों को समय से पूर्ण कराया जा सके एवं आई0एस0ए0 भी अपनी जिम्मेदारियों को गम्भीरता से लें।
3. वर्तमान तक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत किये गये डी0पी0आर0 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के आई0एस0ए0 सम्बन्धित कार्य से भी सम्बन्धित सहमति पत्र आई0एस0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये जायें, जो कि अगली डी0डब्ल्यू0एस0एम0 बैठक में प्रस्तुत किये जायेगें।
4. आई0एस0ए0, मै0 राजस्थान हयूमर, केयर फाउण्डेशन, जयपुर द्वारा किसी प्रकार की समस्या पूछने पर अवगत कराया गया कि पिपरिया खुशाली तथा ढकिया तिवारी ग्राम में जलापूर्ति नियमित न होने के कारण ग्राम वासियों मे रोष था, जिस पर अधिशासी अभियन्ता को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

5. क्रियात्मक पेयजल गृह सयोजन के सम्बन्ध में अनुबन्धित संस्था मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड, हैदराबाद को निर्देशित किया गया कि परियोजना अन्तर्गत दिये गये पेयजल गृह संयोजन के अनुसार ही पोर्टल पर फीडिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाये। इसकी गम्भीरता से निगरानी रखी जाये, किसी भी स्तर पर विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए मै0एन0सी0सी0 तथा जल निगम के सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त एफ0एच0टी0सी0 के लिए टीम बढाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. क्रियात्मक पेयजल गृह संयोजन लाभार्थियों के घर के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही शासनादेशों के अनुपालन में सुनिश्चित की जाये। किसी भी स्तर पर पेयजल गृह संयोजन का कार्य घर के बाहर तक सीमित न रखा जाये।
7. वर्तमान तक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद शाहजहाँपुर अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कवर अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के समस्त घटकों पर अनुबन्धित संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ कराये जायें। इस हेतु आवश्यकतानुसार अनुबन्धित संस्था अपने मैन पावर को बढ़ाते हुए कार्यों की प्रगति को युद्ध स्तर पर बढ़ाते हुए प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि शासन के स्पष्ट निर्देशानुसार समस्त ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने का कार्य मार्च, 2024 से पूर्व पूर्ण किया जाना है।
8. जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड, हैदराबाद को निर्देशित किया गया कि कार्यों को ब्लाकवार पूर्ण कराये जाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ब्लाकवार संतृप्तता प्राप्त की जा सके।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त 56 नग डी0पी0आर0 उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)

अधिशासी अभियन्ता
(वि0 / यां0)
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिर्सोसेस / सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर
सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

प्रभागीय वनाधिकारी स्वय अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।